रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1975] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 3, 2012/आश्विन 11, 1934

No. 1975] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 3, 2012/ASVINA 11, 1934

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2012

का.आ. 2357(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 10(1)(त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 13 के खंड (च क) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश, 2012 है ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से छः माह की अवधि के अवसान पर प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं.—(1) इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) ''अधिनियम'' से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) अभिप्रेत है;

(ख) ''समुचित प्राधिकारी'' से कोई अधिकारी जो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग या इसके अधीनस्थ या सम्बद्ध कार्यालयों के निदेशक या वैज्ञानिक 'एफ' से नीचे की पंक्ति का न हो, जिसे सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, अभिप्रेत है;

(ग) "माल" से अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल अभिप्रेत है;

(घ) "नियमों " से भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 अभिप्रेत है ;

(ङ) "अनुसूची" से इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(च) "उत्पादों की श्रृंखला " से उसी परिवार के उत्पाद अभिप्रेत है, लेकिन जो आकार या रेटिंग या निर्माण में अलग-अलग हों;

(छ) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल के संबंध में "विनिर्दिष्ट मानक " से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट भारतीय मानक अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों का, जो यहाँ प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होगा जो उनका क्रमश: अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में है।

3. माल के विनिर्माण, भंडारण, बिक्री तथा वितरण आदि के बारे में निषेध –

(1) कोई व्यक्ति स्वयं अथवा अपनी ओर से किसी व्यक्ति के माध्यम से ऐसे माल का विनिर्माण, या बिक्री के लिए भंडारण, आयात, बिक्री या वितरण नहीं करेगा जो विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप नहीं हैं और ऐसे माल पर ब्यूरो से रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने के पश्चात भारतीय मानक (आईएस) अनुसूची के स्तम्भ (3) में उल्लिखित (सुसंगत भारतीय मानक) के अनुरूप "स्व-घोषणा " शब्द न लिखे गये हों ;

परन्तु इस आदेश की कोई बात निर्यात के लिए आशयित माल के विनिर्माण के संबंध में लागू नहीं होगी।

(2) अवमानक या त्रुटिपूर्ण माल जो अनुसूची के स्तम्भ (3) में उल्लिखित विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप नहीं हैं, को विनिर्माता द्वारा उपयोगातीत विरूपित किया जायेगा और उनका व्ययन स्क्रैप के रूप में किया जायेगा।

4. सूचना इत्यादि मांगने की शक्ति –

(1) समुचित प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से विनिर्माण, बिक्री के लिए भंडारण, किसी माल की बिक्री अथवा वितरण में लगे व्यक्ति से विनिर्माण, बिक्री के लिए भंडारण, आयात, किसी माल की बिक्री अथवा वितरण से संबंधित ऐसी सूचना, जो भी वह आवश्यक समझें देने या किसी ऐसे व्यक्ति से माल के नमूने उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट समुचित जेष्ट स्तर पर प्रत्येक बार किसी प्राधिकारी के विशिष्ट आदेश से समुचित प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति इस आदेश का सुनिश्चित अनुपालन करने की दृष्टि से --------

(क) विनिर्माण, बिक्री के लिए भंडारण, आयात, माल की बिक्री अथवा वितरण में लगे किसी व्यक्ति से संबंधित, अथवा उसके कब्जे में या उसके नियंत्रणाधीन किसी पुस्तक अथवा अन्य दस्तावेज और अन्य माल या संघटक पुर्जे अथवा उसके द्वारा रखी जाने वाले किसी माल की सामग्री का भी निरीक्षण कर सकेगा अथवा निरीक्षण करा सकेगा;

(ख) किसी परिसर में प्रवेश कर सकेगा एवं उसकी तलाशी ले सकेगा तथा ऐसे माल का अभिग्रहण कर सकेगा जिसकी बाबत उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश का उल्लंघन किया गया है या उक्त माल विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं है;

(3) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध जहां तक हो सके, इस खण्ड के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को लागू होंगे;

5. नमूना लेना और उसका परीक्षण:-

(1) जहां माल विभिन्न आकार, रेटिंग, किस्मों आदि का है, वहां ऐसे उत्पादों को समूहबद्ध किया जाएगा और प्रतिनिधिक प्रतिरूपों के परीक्षण के आधार पर उत्पादों की श्रृंखला के लिए श्रृंखला अनुमोदन किया जा सकेगा।

(2) आदेश का कार्यान्वयन करते समय श्रृंखला अनुमोदन संबंधी विनिश्चय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग या इसकी प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा लिया जाएगा।

(3) रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के माल का नमूना समुचित प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उसकी विनिर्माण इकाई या बाज़ार से यह अभिनिश्चित करने के लिए लिया जाएगा कि वे विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप हैं या नहीं :

परन्तु यदि आवश्यक हो तो नमूने ब्यूरो या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा भी लिए जा सकेंगे ।

(4) नमूने प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उत्पाद अथवा उत्पाद की श्रृंखला के लिए दो वर्ष में कम से कम एक बार लिए जाएंगे।

(5) चुने जाने वाले स्थान और उत्पाद का चयन यादृच्छिक रूप से किया जाएगा।

(6) प्रदत्त रजिस्ट्री के संभावित क्षेत्र में आने वाले उत्पादों की रेंज में से कम से कम एक नमूने को परीक्षण के लिए चुना जाएगा।

(7) इस तरह से लिए गए नमूने को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए समुचित रूप से मुहरबंद किया जाएगा और रजिस्ट्री संख्या, सैंपल लिए जाने की तारीख, बाज़ार नमूने या विनिर्माण इकाई नमूने के स्रोत, नमूना लेने वाले व्यक्ति का तीन अंकीय कोड और पहचान संख्या, यदि माल पर दी गई हो, तो लेबल के रूप में नमूने पर उपदर्शित किया जाएगा।

परन्तु जहां नमूना विनिर्माण यूनिट से लिया गया है, वहां परीक्षण के लिए भेजे जाने वाले नमूने के अतिरिक्त उसी बैच अथवा लॉट से अन्य नमूना भी लिया जाएगा और उसे भी मुहरबंद किया जाएगा

और उस पर भी लेबल लगाया जाएगा और उसे प्रति नमूना के रूप में रजिस्ट्री उपयोक्ता के पास पश्चातवर्ती किसी विवाद की स्थिति में प्रयोग हेतु रखा जाएगा।

(8) इस तरह से लिए गए मुहरबंद और लेबलयुक्त नमूने को समुचित प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ब्यूरो से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए यह उपदर्शित करने वाले अनुरोध के साथ भेजा जाएगा कि नमूने की जांच विनिर्दिष्ट मानक की सभी आवश्यकताओं की बाबत की जाए और जांच रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी को भेजी जाएगी।

(9) सभी जांच रिपोर्टों की नमूने की अनुरूपता के लिए विनिर्दिष्ट मानकों की सभी आवश्यकताओं की बाबत जांच की जाएगी।

(10) अनुरूप नमूने की जांच रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी के पास सुरक्षित रहेगी और अननुरूप नमूने की जांच रिपोर्ट को निर्धारित समय सीमा के भीतर समुचित प्राधिकारी द्वारा ब्यूरो को आगामी कार्रवाई हेतु भेजा जाएगा।

(11) समुचित प्राधिकारी कार्यवाही की प्रास्थिति से संबंधित जानकारी को अपनी वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराएगा।

6. विनिर्माताओं को निदेश जारी करने की शक्ति : समुचित प्राधिकारी, इस आदेश के प्रयोजन को पूरा कराने के लिए अधिनियम, नियम या इस आदेश के उपबंधों के संगत, जो भी आवश्यक हो, विनिर्माताओं को निदेश जारी कर सकेंगे।

7. निदेशों का अनुपालन: प्रत्येक विनिर्माता, जिसे इस आदेश के अधीन कोई निदेश जारी किया जाता है, वह ऐसे निदेश का अनुपालन करेगा।

8. जानकारी उपलब्ध कराने की बाध्यता: कोई भी विनिर्माता खण्ड 4 के अधीन विधिपूर्वक मांगी गई जानकारी देने से इंकार नहीं करेगा या अपने स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी पुस्तक या संबंधित दस्तावेज को नष्ट, विकृत या विरूपित नहीं करेगा और कोई जानकारी नहीं छुपाएगा।

अनुसूची

क्रम सं. (1)	उत्पाद (2)	भारतीय मानक संख्या (3)	भारतीय मानक का शीर्षक (4)
1.	इलेक्ट्रॉनिक खेल (विडियो)	आईएस 616:2010	ऑडियो, विडियो एवं ऐसे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र-सुरक्षा आवश्यकताएँ
2.	लैपटॉप/नोटबुक/टैबलेट	आईएस 13252:2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर-सुरक्षा साधारण आवश्यकताएं
3.	32" एवं इससे बड़े प्लाज्मा/एलसीडी/एलईडी टेलीविजन	आईएस 616:2010	ऑडियो, विडियो एवं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक यंत्र-सुरक्षा आवश्यकताएँ
4.	200 वाट एवं इससे अधिक इनपुट क्षमता वाले बिल्ट इन एमप्लीफायर के साथ ऑप्टिकल डिस्क प्लेयर	आईएस 616:2010	ऑडियो, विडियो एवं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक यंत्र-सुरक्षा आवश्यकताएँ
5.	माइक्रोवेव ओवन	आईएस 302-2-25:1994	घरेलू एवं ऐसे ही इलेक्ट्रिकल, साधित्रों की सुरक्षा : भाग 2 विशिष्ट आवश्यकता : भाग 25 माइक्रोवेव ओवन
6.	विजुअल डिस्प्ले यूनिट, 32" एवं इससे बड़े आकार के विडियो मॉनीटर	आईएस 13252:2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर-सुरक्षा साधारण आवश्यकताएं
7.	प्रिंटर, प्लाटर	आईएस 13252:2003	सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर-सुरक्षा साधारण आवश्यकताएं
8.	स्कैनर	आईएस 13252:2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर-सुरक्षा साधारण आवश्यकताएं
9.	वायरलेस की बोर्ड	आईएस 13252:2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर-सुरक्षा

			साधारण आवश्यकताएं
10.	टेलीफोन से उत्तर देने वाली मशीन	आईएस 13252:2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर-सुरक्षा साधारण आवश्यकताएं
11.	200 वाट एवं इससे अधिक क्षमता वाले इनपुट पावर एम्प्लीफायर	आईएस 616:2010/	ऑडियो, विडियो एवं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक यंत्र-सुरक्षा आवश्यकताएँ
12.	200 वाट एवं इससे अधिक क्षमता वाले इनपुट पावर वाले इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल प्रणाली	आईएस 616:2010	ऑडियो, विडियो एवं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक यंत्र-सुरक्षा आवश्यकताएँ
13.	मेन पावर वाली इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां	आईएस 302-2:26:1994	घरेलू एवं ऐसे इलेक्ट्रिकल साधित्र की सुरक्षा: भाग 2 विशिष्ट आवश्यकताएँ : भाग 26 घड़ियां
14.	सेट टॉप बॉक्स	आईएस 13252:2010	ऑडियो, विडियो एवं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक यंत्र-सुरक्षा आवश्यकताएँ
15.	ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन	आईएस 13252:2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर-सुरक्षा साधारण आवश्यकताएं

[सं. 8(14)/2006-आईपीएचडब्ल्यू(वाल्यूम III)]

डॉ. अजय कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

ORDER

New Delhi, the 7th September, 2012

S.O. 2357(E).— In exercise of the powers conferred by section 10(1)(p) of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986) and in pursuance of clause (fa) of rule 13 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987,the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement :

(1) This Order may be called the Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012.

(2) It shall come into force on the expiry of six months from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions:-

(1) In this Order, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986);

(b) "Appropriate Authority" means any officer, not below the rank of Director or Scientist 'F', of the Department of Electronics and Information Technology or its sub-ordinate or attached offices, authorised by the Secretary, Department of Electronics and Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, Government of India;

(c) "Goods" means the Electronics and Information Technology goods specified in the column (2) of the Schedule;

(d) "Rules" means the Bureau of Indian Standards Rules, 1987;

(e) "Schedule" means the Schedule annexed to this Order ;

(f) "Series of products" means the products of the same family but varying in sizes or rating or construction;

(g) "Specified Standard" in relation to Electronics and Information Technology Goods means the Indian Standards as specified in the column (3) of the Schedule;

(2) Words and expressions used herein but not defined in the Order shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the rules made there under;

3. Prohibition regarding manufacture, storage, sale and distribution etc of Goods -

(1) No person shall by himself or through any person on his behalf manufacture or store for sale, import, sell or distribute Goods which do not conform to the Specified Standard and do not bear the words "Self declaration – Conforming to IS (Relevant Indian Standard mentioned in column (3) of the Schedule) on such Goods after obtaining Registration from the Bureau:

Provided that nothing in this Order shall apply in relation to manufacture of Goods meant for export.

(2) The substandard or defective Goods which do not conform to the Specified Standard mentioned in column (3) of the Schedule shall be deformed beyond use by the manufacturer and disposed off as scrap.

4. Power to call for information, etc. –

(1) The Appropriate Authority or a person authorised by him, may with a view to secure compliance with this Order require any person engaged in the manufacture, store for sale, sale or distribution of any Goods to give such information as he deems necessary relating to the manufacture, storage for sale, import, sale or distribution of any Goods or require any such person to furnish to him samples of Goods.

(2) With the specific order each time of an authority at an appropriate senior level nominated by the Secretary in the Department of Electronics and Information Technology, the Appropriate Authority or person authorised by him , with a view to secure compliance with this Order may also-

(a) inspect or cause to be inspected any books or other document and other Goods or the components or materials of any Goods kept by or belonging to or in the possession or under the control of any person engaged in the manufacture, storage for sale, import, sale or distribution of Goods;

(b) enter and search any premises and seize Goods in respect of which it has reason to believe that a contravention of this Order has been committed or the said Goods are not complying to the Specified Standards;

(3) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) relating to search and seizure shall so far as may be, applied to searches and seizures under this clause.

5. Drawing and testing of sample :-

(1) Where the Goods have different sizes, ratings, varieties etc, such Goods shall be grouped and may be granted series approval for a Series of Products based on testing of representative models.

(2) A decision concerning series approval shall be taken by the Department of Electronics and Information Technology or its authorised agencies while implementing the order.

(3) The sample of Goods of the registered user shall be drawn from his manufacturing unit or from the market by the Appropriate Authority or person authorised by him for ascertaining whether they conform to the Specified Standard:

Provided that if required, samples may also be drawn by the Bureau or its authorised representatives.

(4) The samples shall be drawn at least once in two years for a product or Series of Product covered under the scope of registration granted.

(5) The location and the product to be picked up shall be selected randomly.

(6) At least one sample from the range of products covered in the scope of registration granted shall be picked up for testing.

(7) The sample so drawn shall be properly sealed to protect it from any damage and labeled indicating the registration number, the date of the drawal of sample, the source of the market sample or manufacturing unit sample, a three-letter code of the person drawing the sample and the identification number, if any, given on Goods:

Provided that where the sample drawn from the manufacturing unit, in addition to the sample to be sent for testing, another sample from the same batch or lot shall also be drawn, sealed and labeled, and left with the registered user as a counter sample, for use in case of any subsequent dispute.

(8) The sample so drawn, sealed and labeled, shall be sent by the Appropriate Authority or person authorised by him for testing to a laboratory recognised by the Bureau along with a request indicating that the sample shall be tested

with respect to all the requirements of the specified standard and the test report shall be sent to the Appropriate Authority.

(9) All the test report shall be scrutinized for conformity of the sample with respect to the requirements of the Specified Standard.

(10) The test report of the conforming sample shall be retained by the Appropriate Authority and the test report of the non-conforming sample shall be sent to the Bureau by the Appropriate Authority within the specified time limit for further action.

(11) The Appropriate Authority shall also make available information regarding the status of processing publicly available on its website.

6. Power to issue direction to manufacturers:- The Appropriate Authority may issue such directions to manufacturers, consistent with the provisions of the Act, rules or this Order, as may be necessary, for carrying out the purpose of this Order.

7. Compliance of directions:– Every manufacturer to whom any direction is issued under this Order shall comply with such direction.

8. Obligation to furnish information:– No manufacturer shall refuse to give any information lawfully demanded from him under clause 4 or conceal, destroy, mutilate or deface any book or document relating thereto in his possession or control.

SCHEDULE

Sl.No. (1)	Product (2)	Indian Standard Number (3)	Title of Indian Standard (4)
1.	Electronic Games (Video)	IS 616:2010	Audio, Video and Similar Electronic Apparatus - Safety Requirements
2.	Laptop/Notebook/Tablets	IS 13252:2010	Information Technology Equipment - Safety - General Requirements
3.	Plasma /LCD /LED Televisions of screen size 32" & above	IS 616:2010	Audio, Video and Similar Electronic Apparatus - Safety Requirements
4.	Optical Disc Players with built in amplifiers of input power 200W and above	IS 616:2010	Audio, Video and Similar Electronic Apparatus - Safety Requirements
5.	Microwave Ovens	IS 302-2-25:1994	Safety of household and similar electrical appliances: Part 2 Particular requirements: Section 25 Microwave ovens
6.	Visual Display Units , Video Monitors of screen size 32" & above	IS 13252:2010	Information Technology Equipment - Safety - General Requirements
7.	Printers, Plotters	IS 13252:2003	Information Technology Equipment - Safety - General Requirements
8.	Scanners	IS 13252:2010	Information Technology Equipment - Safety - General Requirements
9.	Wireless Keyboards	IS 13252:2010	Information Technology Equipment - Safety - General Requirements

10.	Telephone Answering Machines	IS 13252:2010	Information Technology Equipment - Safety - General Requirements
11.	Amplifiers with input power 2000W and above	IS 616:2010/	Audio, Video and Similar Electronic Apparatus - Safety Requirements
12.	Electronic Musical Systems with input power 200W and above	IS 616:2010	Audio, Video and Similar Electronic Apparatus - Safety Requirements
13.	Electronic Clocks with Mains Powers	IS 302-2:26: 1994	Safety of household and similar electrical appliances: Part 2 Particular requirements: Section 26 Clocks
14.	Set Top Box	IS 13252:2010	Audio, Video and Similar Electronic Apparatus - Safety Requirements
15.	Automatic Data Processing Machine	IS 13252:2010	Information Technology Equipment - Safety - General Requirements

[No. 8(14)/2006-IPHW(Vol. III)]

Dr. AJAY KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.